

**संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी ,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, रायपुर
बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 की रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु
काउंसिलिंग कार्यक्रम**

—:: काउंसिलिंग सूचना ::—

काउंसिलिंग स्थल :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 1020/2019, डब्ल्यू.पी.सी. 112/2019 एवं डब्ल्यू.पी.सी. 465/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2019 के परिपालन में निजी क्षेत्र के आयुर्वेद/होम्योपैथी महाविद्यालयों के बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. स्नातक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) (यू.जी.) 2018 में सम्मिलित एवं संचालनालय आयुष द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 03.09.2018, 08.09.2018, 04.11.2018 एवं 18.05.2019 के अनुसार पंजीकृत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी तथा गैर मूल निवासी (अन्य प्रदेश के) अभ्यर्थियों को निम्नानुसार श्रेणी/संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :-

समय सारिणी

दिनांक	श्रेणी/संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय
24.05.2019 (शुक्रवार)	अनारक्षित (निल/सैनिक/एफ.एफ./दिव्यांग)	प्रातः 08:30 से 10:00 बजे तक
	अ.ज.जा. (निल/सैनिक/एफ.एफ./दिव्यांग)	प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक
	अ.जा. (निल/दिव्यांग)	प्रातः 11:00 से 12:00 बजे तक
	अ.पि.व. (निल/दिव्यांग)	दोपहर 12:00 से 01:00 बजे तक
25.05.2019 (शनिवार)	<u>छत्तीसगढ़ के गैर मूल निवासी</u>	प्रातः 08:30 से 10:00 बजे तक

- (अ) प्रवेश नियम 2018 की कंडिका 8(15)(ज) में निहित प्रावधान अनुसार किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत (सैनिक), (एफ.एफ.), (दिव्यांग) के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित कर भरा जावेगा।
- (ब) उपरोक्तानुसार श्रेणी/संवर्गवार ऐसे अभ्यर्थी जो इसके पूर्व आयोजित किसी भी काउंसिलिंग में चयनित/उपस्थित नहीं हो सके हैं वे काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

- (स) किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर प्रवेश नियम 2018 की कंडिका 4(6) में निहित प्रावधान अनुसार परिवर्तित कर भरा जावेगा।
- (द) संवर्गवार रिक्त सीटों की जानकारी काउंसिलिंग तिथि के पूर्व वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उक्त निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :-

1. नीट परीक्षा का प्रवेश-पत्र।
2. नीट प्रवेश परीक्षा-2018 की अंकसूची।
3. ऑनलाईन पंजीयन की प्रति।
4. दसवी की मूल अंकसूची।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची।
6. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र।
7. स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (नियम 4(2) के अनुसार)।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र सहित विगत तीन वर्षों का आय प्रमाण-पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म-16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)।
9. छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र (नियम 4(3) के अनुसार)।
10. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र (नियम 4(3) के अनुसार)।
11. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण-पत्र (नियम 4(3) के अनुसार)।
12. अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी। इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. दिव्यांगता संवर्ग में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
14. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
15. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो भी साथ लावें।
16. **शैक्षणिक शुल्क :-**
 - (1) काउंसिलिंग के समय निजी क्षेत्र के भारती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत 55,620/-, महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत 27,140/-, रायपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल रामकुण्ड रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत 27,640/- एवं सी.एल.चौकसे मेमोरियल होम्यो. कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर लालखदान बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत 28,140/- संबंधित महाविद्यालय के काउंटर में तत्काल जमा कराना अनिवार्य है।
 - (2) काउंसिलिंग के समय पाठ्यक्रम/महाविद्यालय का चयन करने के उपरांत निर्धारित शुल्क की 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा न करने पर अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देंगे।
 - (3) शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संबंधित महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा शुल्क जमा न करने या किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न

करने की दशा में अभ्यर्थी इसकी लिखित सूचना तत्काल अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति को देगा।

- नोट :-(1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा।
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के काउंसिलिंग पश्चात् रिक्त सीटों को गैर मूल निवासी अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। रिक्त सीटों की जानकारी काउंसिलिंग स्थल पर उपलब्ध कराई जावेगी।
- (3) माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 07.05.2019 के परिपालन में छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2018 की कंडिका 3(ख)(5) प्रभावहीन रहेगी।

संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़

परिशिष्ट-अ

सत्र 2018-19 बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रमों के निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध/रिक्त श्रेणी एवं संवर्गवार सीटों की संख्या

स.क.	महाविद्यालय का नाम	उपलब्ध रिक्त सीटों की संख्या	अनारक्षित						अनुसूचित जनजाति 32 प्रतिशत						अनुसूचित जाति 12 प्रतिशत						अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत					
			सै.		दिव्यांग		निल		योग		सै.		दिव्यांग		निल		योग		सै.		दिव्यांग		निल		योग	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	भारती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल पुलगांव चौक, दुर्ग	24	1	1	1	1	4	1	1	2	10	14	-	-	1	3	4	-	-	1	1	2				
2	सी.एल.चौकसे मेमो. होम्योपैथी मेडि. कालेज, लालखदान, बिलासपुर	79	1	1	2	24	28	1	1	2	28	32	-	-	1	8	9	-	-	-	1	9	10			
3	रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महा. एवं चिकि., रामकुण्ड, रायपुर	44	1	1	1	13	16	-	-	1	15	16	-	-	-	5	5	-	-	-	-	7	7			
4	महारणा प्रताप होम्योपैथी मेडि. कालेज, न्यु राजेन्द्र नगर, रायपुर	40	1	1	1	11	14	-	-	1	15	16	-	-	-	6	6	-	-	-	-	4	4			
	योग	187	4	4	5	49	62	2	2	6	68	78	0	0	2	22	24	0	0	2	21	23				

संचालक द्वारा अनुमोदित।


संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़